संजीवनी टुडे
SAMAY KE SATH BADHTA AKHABAR

FSSAI ने सुनाया बड़ा फैसला, इन कंपनियों को अपने उत्पाद पर लिखनी होगी यह बात

07-02-2019

बिजनेस डेस्क। हम आपको बता दें कि कई कंपनियां आटे के स्थान पर मैदा को बेचती है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को भारी नुकसान होता है। लेकिन अब आटे के नाम पर मैदा बेचने वाली कंपनियां ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। क्योंकि अब से सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पर साफ तौर पर लिखना होगा कि वो प्रोडक्ट आटे का है या फिर मैदा का।
भारत की एक संस्था 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने खाद्य उत्पाद निर्माण सामग्री बनाने वाली कंपनियों से साफ कहा है कि 30 अप्रैल से इस नए नियम को जरूरी किया जाएगा। FSSAI के मुताबिक, अभी कंपनियों को उनके उत्पादों पर इससे सम्बंधित की जानकारी साफ शब्दों में लिखनी पड़ेगी।

पूरे भारत देश में बिक रहे सभी उत्पादों पर अभी तक तो केवल Wheat Flor शब्द लिखा होता था। इससे लोगों को पता नहीं चलता है कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो आटे का है या फिर मैदा से। हम आपको बता दें कि इस नियम के लागू हो जाने के बाद सभी कंपनियों को "शुद्ध गेंहू से बना आटा और रिफाइंड व्हीट फ्लोर" लिखना होगा।